सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

1250, तुलसीनगर, भोपाल–462003
फोन–0755–2558391 फेक्स–2552665
ई–मेल mdcmsssm@gmail.com
URL : http://www.samagra.gov.in & http://bpl.samagra.gov.in

क्रमांक/समग्र/BPL/2018/ 307/48 भोपाल, दिनांक 19/2/2018 **महत्वपूर्ण**

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त
2. समस्त कलेक्टर (जिला मिशन लीडर)
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (उप मिशन लीडर)
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम (उप मिशन लीडर)
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (सहायक मिशन लीडर)
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका (सहायक मिशन लीडर)
7. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद (सहायक मिशन लीडर)

मध्यप्रदेश।

विषयः- समग्र पोर्टल पर गरीबी रेखा के नीचे के (BPL) परिवारों की एकीकृत सूची के संधारण हेतु दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया।

----0----

शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये विभिन्न प्रकार की हितग्राहीमूलक योजनायें यथा खाद्य सुरक्षा, पेंशन, विवाह, बीमा, अनुग्रह, राष्ट्रीय परिवार सहायता, अंत्येष्टि सहायता, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा आवास इत्यादि योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाती है।

2- समग्र व्यवस्था लागू होने के पूर्व जिला/स्थानीय निकाय द्वारा बी.पी.एल. सूची का संधारण अपने स्तर पर किया जाता था एवं इसका कोई एकीकृत, प्रमाणिक एवं लाईव डेटाबेस उपलब्ध नहीं था। हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु बार-बार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती थी एवं संपूर्ण प्रक्रिया मे पारदर्शिता का अभाव था।

3- शासन की मंशा के अनुरूप पात्र व्यक्ति को उसकी पात्रता के आधार पर समस्त योजनाओं का लाभ सुविधाजनक रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। बी.पी.एल. परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए बी.पी.एल. सूची का एकीकृत एवं प्रमाणिक रूप से संधारण हेतु एन.आई.सी. द्वारा बी.पी.एल. पोर्टल (bpl.samagra.gov.in) विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल पर समस्त स्थानीय निकायों द्वारा बी.पी.एल. परिवारों की सूची का संधारण किया जा रहा है।

4- इस प्रणाली के क्रियान्वयन से परिवार के बी.पी.एल. सूची मे चिन्हांकन एवं सत्यापन के उपरांत पात्र परिवार एवं उसके समस्त सदस्यों को समग्र पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ बार-बार बी.पी.एल. सत्यापन के बिना संबंधित योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर लाभ प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा, पेंशन, विवाह, राष्ट्रीय परिवार सहायता, छात्रवृत्ति इत्यादि का लाभ इस माध्यम से दिया जा रहा है।

5- पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण की दृष्टि से ग्राम/पंचायत/वार्ड/ जोन/ स्थानीय निकाय/ जिला स्तर पर बी.पी.एल. परिवारों की संख्या एवं सूची जनसामान्य हेतु पोर्टल पर पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के आधार पर विभिन्न प्रकार के विश्लेषण रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि सामान्य से अधिक या सामान्य से कम बी.पी.एल. परिवारों वाली पंचायतो की सूची प्राप्त कर आवश्यक परीक्षण किया जा सकता है। पोर्टल पर ऐसे परिवारों की सूची उपलब्ध कराई गई है, जिनका बी.पी.एल. सर्वे नम्बर/सर्वे वर्ष मे त्रुटि होने की संभावना है एवं जिसको तत्काल जांच कर सही कराना आवश्यक है। उक्त पोर्टल पर निम्न सुविधाएं एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई हैं :-

- ग्राम/वार्ड, स्थानीय निकाय, जिला वार बी.पी.एल. परिवारों की सूची ।
- ग्राम/वार्ड, स्थानीय निकाय, जिला वार नये परिवार जिन्हें प्रमाणित बी.पी.एल. परिवारों की सूची में शामिल किया गया है ।
- ग्राम/वार्ड, स्थानीय निकाय, जिला वार हटाये गये परिवार जिन्हे बी.पी.एल. परिवारों की सूची से हटाया गया है ।
- त्रुटि पूर्ण सर्वे नम्बर पर पंजीकृत बी.पी.एल. परिवार ।
- ऐसी ग्राम पंचायतों/वार्ड के नाम जहां बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 75 प्रतिशत से अधिक है।

6- योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है, कि बी.पी.एल. परिवारों की अद्यतन सूची का संधारण समग्र पोर्टल पर उपलब्ध रहे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(6.1) बी.पी.एल. परिवारों की सूची का संधारण करने हेतु जनपद पंचायत / नगरीय निकाय स्तर पर एक अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करना :-

(6.1.1) बी.पी.एल. परिवारों की सूची का संधारण करने हेतु जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय द्वारा केवल एक अधिकारी/कर्मचारी जो बी.पी.एल. सूची का संधारण करते है को अधिकृत किया जाकर उसके नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर सहित bpl.samagra.gov.in पर चिन्हित करेगें।

(6.1.2) केवल चिन्हांकत अधिकारी/कर्मचारी अपने यूजर आई.डी. व पासवर्ड से अपने निकाय के बी.पी.एल. परिवारों की सूची का संधारण कर सकेगें।

(6.1.3) किसी पात्र बी.पी.एल. परिवार को यदि पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित नहीं किया गया है तो उस परिवार को योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो सकेगा, ऐसी स्थिति मे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः जबाबदेह होगें।

(6.1.4) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी परिवार को गलत रुप (त्रुटि) से पोर्टल पर बी.पी.एल. परिवार के रुप में सत्यापित कर दिया जाता है एवं इस आधार पर अन्य विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के लाभ दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति मे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पूर्णतः जबाबदेह होगें।

(6.2) पोर्टल पर बी.पी.एल. के रुप में पंजीकृत परिवारों का पुन: सत्यापन :-

(6.2.1) पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे परिवार जिनका प्रमाणीकरण नहीं किया गया है उन सभी बी.पी.एल. परिवारों तथा उनकी बी.पी.एल. कार्ड संबंधी जानकारी को दर्ज कर एक बार उनका प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से 15 मार्च 2018 तक किया जाना है।

(6.2.2) 16 मार्च 2018 के पश्चात् अगर किसी भी परिवार की बी.पी.एल. संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण रहती है तो उसकी पूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी।

(6.3) छूटे हुए बी.पी.एल. परिवारों का पोर्टल पर सत्यापन एवं प्रमाणीकरण :-

(6.3.1) ऐसे परिवार जिनका पोर्टल पर पंजीयन हो चुका है, जिनके पास बी.पी.एल. कार्ड है किंतु वे अभी तक पोर्टल पर बी.पी.एल. परिवार की सूची मे चिन्हित एवं प्रमाणित नहीं है, ऐसे परिवारों को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पोर्टल पर बी.पी.एल. सूची मे बी.पी.एल संबंधित संपूर्ण विवरण के साथ जोडा जायेगा, जिससे कि संबंधित परिवार को विभिन्न योजनाओं का लाभ अविलंब प्राप्त हो सकें।

(6.4) भविष्य में होने वाले पंजीयन के लिए उन परिवारों को बी.पी.एल. परिवार के रुप में चिन्हान्कित एवं प्रमाणित करना :-

(6.4.1) तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा परिवार को बी.पी.एल. सूची में शामिल करने हेतु आदेश जारी किया जाता है।

(6.4.2) तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा जारी आदेश के आधार पर बी.पी.एल. पोर्टल पर सूची में नाम जोडने एवं प्रमाणित करने की कार्यवाही कण्डिका क्रमांक 6.3.1 अनुसार होगी।

अत: bpl.samagra.gov.in पर BPL कार्डधारी परिवारों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण 15 मार्च 2018 तक सुनिश्चित करें साथ ही बी.पी.एल. सूची को सतत् अपडेट रखें, जिससे उन्हे पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

<u>संलग्न- संपूर्ण प्रक्रिया पोर्टल पर उपलब्ध।</u>

13.2.18

(बी. चंद्रशेखर)
मिशन संचालक
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन